भास्कर ए. सावन्त
आई.ए.एस.
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
विद्युत भवन, जनपथ
जयपुर–302 005

अध्यक्ष • अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड • जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

CIN:U40109RJ2000SGC016486

क्र0 अध्यक्ष डिस्कॉम्स/मुअ(पीपीएम)/पत्रा. /प्रे0 249 जयपुर, दिनांक– 23/10/2015

आदेश

विषय : घरेलू श्रेणी के विच्छेदित कनेक्शनों को पुनः बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने बाबत्।

हर घर बिजली, डिस्कॉम आपके द्वार अभियान के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के विच्छेदित कनेक्शनों को पुनः बिजली सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में विचार विमर्श किया गया. ऐसे सभी घरेलु श्रेणी के उपभोक्ता जिनके कनेक्शन दिनांक 31.12.2013 से पूर्व विच्छेदित है एवं उन्हे मूल बकाया राशि जमा कराने पर कटे हुये कनेक्शनों को पुनः बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय निम्न शर्तो के अनुसार लिया गया है :–

1. ऐसे सभी घरेलु श्रेणी के उपभोक्ता जिनके कनेक्शन 31.12.2013 पूर्व विच्छेदित है, यदि वे दिनांक 31.12.2015 तक पुनः कनेक्शन लेने के लिये आवेदन करते है एवं सम्पूर्ण मूल बकाया राशि दिनांक 31.12.2015 तक जमा कराते है तो सम्पूर्ण डी.पी.एस./ब्याज राशि माफ की जा सकेगी। कटे हुये कनेक्शन को रि–कनेक्शन उपलब्ध तन्त्र होने की स्थिति में आर.सी. फीस लेकर जोड दिया जायेगा। तन्त्र उपलब्ध नही होने की स्थिति मे, तन्त्र विस्तार की राशि टी.सी.ओ.एस–2004 मे वर्णित प्रावधानों के अनुसार ली जाकर कनेक्शन पुनः किया जा सकेगा।

2. इस योजना के अन्तर्गत डी.पी.एस./ब्याज राशि की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सक्षम होगें।

3. इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया राशि के सम्बन्ध मे कोई कोर्ट केस लम्बित हो तो उसे मुकदमा वापिस लेने की स्थिति में ही लाभ दिया जा जावेगा।

Pa/d/joshi/letters hindi

फोन : (0141) 2744965 (का.), 2709373 (नि.)• फैक्स : (91) (141) 2744187 • ई–मेल : cmd@jvvnl.in

4. यदि उपभोक्ता योजना की अन्तिम दिनांक 31.12.2015 तक आवेदन नही करता है एवं बकाया मूल राशि जमां नही कराता है तो उसे इस योजना का लाभ नही दिया जावेगा।
5. यह योजना चोरी या अनियमितता (Malpractice) की राशि बकाया होने पर कटे हुये कनेक्शन के लागू नही होगी।
6. उपरोक्त योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिये स्वंय उपभोक्ता द्वारा संलग्न प्रारूप में आवेदित किया जावेगा।

(भास्कर ए. सावंत)
अध्यक्ष डिस्कॉम्स

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)
क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.–II/2015–16/प्रे 5709 दिनांक 26-10-15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/झूझंनू।
2. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम/अजमेर (एसीसी/एडीसी)/ भीलवाडा/ नागौर/ सीकर / झुझूंनू/ उदयपुर/ बांसवाडा/ डूंगरपुर/ राजसमंद/ प्रतापगढ/चितौडगढ
5. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
6. निजी सहायक, निर्देशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. निजी सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, विद्युत भवन, जयपुर।
8. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर/जयपुर /जोधपुर डिस्कॉम ।

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)
अजमेर डिस्कॉम, अजमेर